न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अशोक कुमार मीना (आर.ए.एस.)

अपील संख्याः 36/2019

सोहन सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह जाति तरखान नि0 चक 24 पी.एस. तह. रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स.प. धारा 5 राज0 उपनि0 अधिनियम 1954

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री भागीरथ बिश्नोई
2. पैरोकार राज.

निर्णय

दिनांकः 02/12/20

1. यह अपील तहसीलदार श्री विजयनगर के आदेश 18.07.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा जरीये पत्रावली संख्या 1/2019 के द्वारा चक 1 जे.के.एम. के प॰ न॰ 158/372 की 1.747 हैक्टयर रकवा में फसल खरीफ 2076 को कुर्क करने का आदेश दिया गया।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा वैद्य टाइटल के आधार पर चक 1 जे.के.एम. के प॰ न॰ 158/372 के किला नं0 5,6,14,15,16,17,24,25 में 1.747 हैक्टयर रकवा में खरीफ की फसल ग्वार काश्त की हुई थी जिस पर अदालत मातहत ने दिनांक 18.07.2019 को हल्का पटवारी की रिपोर्ट होते ही उसी दिन पत्रावली कायम कर फसल को कुर्क करने का गैरकानूनी आदेश पारित कर दिया। अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया व न ही फसल उठाने का अवसर प्रदान किया गया। उक्त रकबा परमेश्वरी देवी को आवंटनशुदा था व अपीलान्ट का जरीये इकरारनामा खरीद किया हुआ होने के कारण नाजायज काश्त नही मानी जा सकती इसलिए अपीलान्ट की अपील स्वीकार करके कुर्कशुदा फसल वापिस अपीलान्ट को दी जावें।

3. अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भागीरथ बिश्नोई व पैरोकार राज हाजिर आये। अदालत मातहत का रिकार्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। योग्य अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत ने कानूनी प्रावधानों की अनदेखी की जाकर फसल कुर्की के आदेश दिये गये है एवं अपीलांट को साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। उक्त रकबा जिस पक्षकार को आवंटन था उससे जरीये इकरारनामा खरीद किया हुआ है अपीलान्ट द्वारा सही अधिकार सहित रकबा काश्त किया गया होने से अपील स्वीकार की जाने व जैर अपील फैंसला निरस्त किया जावें।

5. विद्वान पैरोकार राज ने अदालत मातहत के निर्णय को सही किया जाना बताया व कहा कि अपीलान्ट के पास रकबा काश्त करने का कोई वैध टाईटल या अधिकार नहीं होने से अपील खारिज की जावे।

6. पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया गया व उभय पक्षों की बहस व सबन्धित कानून का मनन किया गया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि रकबा शुद्ध राज है अपीलान्ट के पास रकबा काश्त करने का कोई आवंटन आदेश या अन्य साक्ष्य नहीं होने से काश्त बतौर अतिक्रमी के की गई होने से अपीलांट फसल का फायदा उठाने का अधिकारी नहीं है। रकबा पोंग बांध विस्थापितों को आवंटन हेतु सुरक्षित होने से अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 2.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अशोक कुमार मीना
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner